दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

पत्रांकः सम्बद्धता/2016/ 936 दिनांक 03/08/2016

अनापत्ति पत्र

मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि शासनादेश संख्या 2103/सत्तर–2–2012–2(166)/2002 दिनांक 09 अगस्त, 2012 के अनुसार स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा पूर्व संचालित पुराने महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु प्राप्त अनापत्ति प्रस्तावों पर विश्वविद्यालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त संस्तुति देने हेतु कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर की अध्यक्षता में गठित अनापत्ति समिति की बैठक **दिनांक 03/08/2016** को हुई। इस बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार मुझसे यह सूचित करने की अपेक्षा हुई है कि निम्नलिखित सोसाइटी/महाविद्यालय को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु निम्नलिखित शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अधीन शैक्षिक कार्यो के संचालन हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1.	अ	संचालक सोसाइटी/ट्रस्ट का नाम	विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, आर्यनगर, गोरखपुर
	ब	पंजीकरण तिथि	30..05.1997
	स	पंजीकरण वैधता तिथि	29..05.2017
2.	अ	महाविद्यालय का नाम	**विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, रहमतनगर, मानीराम, गोरखपुर**
	ब	पूर्व संचालित महाविद्यालय की स्थिति में उपलब्ध पाठ्यक्रमों का नाम	**नया महाविद्यालय**
	स	स्थायीकरण की स्थिति	**लागू नहीं**
3.		अनापत्ति स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु है/या परास्नातक स्तरीय पाठ्यक्रमों हेतु	**बी0एड0**
4.	अ	अनापत्ति से सम्बन्धित संकाय	**शिक्षा संकाय**
	ब	अनापत्ति से सम्बन्धित विषय	**स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में**

1. **जिलाधिकारी महोदय, के पत्र संख्या 4904/आशु0लि0–प्र0–2016 दिनांक 16 जुलाई, 2016 के साथ संलग्न उप जिलाधिकारी, सदर, गोरखपुर की पत्र संख्या 776/आशु0लि0–सदर–16 दिनांक 08 जुलाई, 2016 की जाँच आख्या के अनुसार महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में ग्राम– रहमतनगर, तप्पा– मराछी चन्दौर, परगना– हवेली, तहसील– सदर, जनपद–गोरखपुर में स्थित आराजी नं0 548/0.058 हे0, 549/0.233, 550/0.050 विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, रहमतनगर, गोरखपुर के नाम अंकित है। सभी भूखण्ड आपस में सटे हैं, जिसका एकीकृत रकबा 0.341 हे0 है।**

अतः समिति ने महाविद्यालय द्वारा ऊपर उल्लिखित कमियों को पूर्ण करने एवं जिन गाटा नम्बरानों पर महाविद्यालय के नाम के साथ अन्य खातेदारों का नाम अंकित है अथवा उक्त नम्बर अन्य खातेदारों के खाते में अंकित है, उसका विधिक बँटवारा, खाता एवं नक्शे में तरफ/चौहद्दी अंकित कराते हुए, करा कर अभिलेख विश्वविद्यालय में सम्बद्धता प्रदान किये जाने के पूर्व प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन विद्या मन्दिर शिक्षण संस्थान, रहमतनगर, मानीराम, गोरखपुर को जिलाधिकारी की आख्या में वर्णित भूमि पर ही स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में सशर्त अनापत्ति प्रदान करने की संस्तुति की जाती है।

यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाता है कि अभिलेखों में यदि कोई त्रुटि अथवा अवैधानिकता पायी जाती है तो अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी तथा उपर्युक्त के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि उपरोक्त कमियों का निराकरण सम्बद्धता प्रदान किये जाने की तिथि (दिनांक 30.05.2017) के पूर्व नहीं किया जाता है, तो यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी और सम्बद्धता प्रदान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

2. **महाविद्यालय को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई 20 फिट है। महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।** उक्त भूमि पर राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के मानकानुसार निर्मित भवन में किया जायेगा। उक्त से भिन्न भूमि/भूखण्ड पर महाविद्यालय के संचालन की स्थिति में उक्त अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
3. महाविद्यालयों की भूमि के समस्त गाटों की संयुक्तता एवं नजरी नक्शा की स्थिति–**उपलब्ध है।**
4. उक्त पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए स्टाफ के वेतन आदि पर पड़ने वाला समस्त व्यय भार संस्था द्वारा स्वयं अपने स्रोतों से वहन किया जायेगा एवं इस आशय की वचनबद्धता रू0 100/– (रू0 एक सौ) मात्र के नानजुडीशियल स्टाम्प पेपर पर नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से लिखित अन्डरटेकिंग भी प्रस्तुत करनी होगी।
5. उपरोक्त पाठ्यक्रम/पाठयक्रमों के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त होने के बाद ही महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना प्रवेश की कार्यवाही कदापि प्रारम्भ नहीं की जायेगी। विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना यदि महाविद्यालय/संस्थान द्वारा प्रवेश किये जायेंगे तो महाविद्यालय/संस्थान के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी तथा अवैध रूप से प्रवेशित छात्रों की परीक्षाएं विश्वविद्यालय द्वारा नहीं कराई जायेंगी।
6. उक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता की स्वीकृति तभी दी जायेगी जब संस्थान/महाविद्यालय शासनादेश संख्याः 3075/सत्तर –2–2002–2(166)/2002 दिनांक 27 सितम्बर, 2002 एवं समय–समय पर जारी अन्य तत्सम्बन्धी अन्य शासनादेशों में विनिर्दिष्ट मानकों एवं निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यकतायें एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कर लेगी।
7. उक्त सोसाइटी/संस्थान/महाविद्यालय भविष्य में भूमि, भवन अथवा अन्य किसी प्रकार की वित्तीय सहायता के लिये न तो उत्तर प्रदेश शासन या विश्वविद्यालय से मांग करेगी और न ही उसके द्वारा किये गये किसी कार्य के कारण उत्पन्न हुए वित्तीय दायित्वों की देनदारी राज्य सरकार अथवा विश्वविद्यालय की होगी।
8. उक्त पाठ्यक्रम के बाबत किसी प्रकार की लायबिलिटी से राज्य सरकार या विश्वविद्यालय का कोई सरोकार नहीं होगा।
9. राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि भवन, शिक्षकों एवं अन्य अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्थान/महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
10. शासनादेश संख्याः 4070/सत्तर–2–2011–16(686)/2011 (उच्च शिक्षा अनुभाग–2) दिनांक 20.04.2012 के अनुसार महाविद्यालय के सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के अनुसार क्रमशः न्यूनतम 15 एवं 20 फिट होना अनिवार्य है। **महाविद्यालय को जोड़ने वाले सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई 20 फिट है।**
11. शासन के पत्र संख्या 522/सत्तर–2–2013–2(650)/2013 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 द्वारा दी गयी व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालयों को किसी भी पाठ्यक्रम में सम्बद्धता दिये जाने एवं शिक्षण कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व संस्था में विश्वविद्यालय से यू0जी0सी0 अर्हताधारी योग्य शिक्षक अनुमोदित एवं तैनात होने चाहिए।

दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर –273009

12. **उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973 की धारा 37(10) के प्राविधान के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त किये बिना सम्बन्धित पाठ्यक्रम में महाविद्यालय द्वारा छात्रों का प्रवेश नहीं किया जायेगा।**

13. सम्बद्धता के निरीक्षण के समय अनिवार्य रूप से निम्नलिखित बिन्दुओं पर निरीक्षण द्वारा परीक्षण कर लिया जाय–

(1). भवन/चहारदीवारी के निर्मित होने की स्थिति/मानचित्र की स्वीकृति।
(2). सम्पर्क मार्ग की चौड़ाई।
(3). सार्वजनिक उपयोगिता की भूमि का अतिक्रमण न किया जाना।
(4). आवेदन पत्र की प्रविष्टियों की शुद्धता।
(5). विभिन्न गाटों की संयुक्तता।
(6). बैंक खाते में अपेक्षित धनराशि का होना।
(7). वांछित भूमि की खतौनी को उपजिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होना।
(8). सोसाइटी की वैधता।
(9). शिक्षकों की नियुक्ति।
(10). प्रबन्ध समिति का अनुमोदन।
(11). अग्निशमन व्यवस्था।
(12). यह अनापत्ति वर्तमान में महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों, पत्रजातों,/शपथपत्र एवं अनापत्ति समिति की संस्तुति पर कुलपति जी के अनुमोदनोपरान्त/अनुमोदनानुसार निर्गत की जा रही है। यदि भविष्य में किन्हीं अभिलेखों, पत्रजातों इत्यादि में कोई परिवर्तन होता है या त्रुटि पायी जाती है अथवा वह असत्य पाया जाता है तो इसके लिए सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति जिम्मेदार होंगे तथा अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेंगी एवं सचिव/प्रबन्धक, महाविद्यालय प्रबन्ध समिति के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक व अन्य कार्यवाही की जायेगी।
(13). महाविद्यालय के उपरोक्त विषयों में अस्थाई सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु गठित निरीक्षण मण्डल के सदस्यों द्वारा महाविद्यालय के स्थलीय निरीक्षण की निरीक्षण आख्या में संपर्क मार्ग के संबंध में स्पष्ट आख्या प्रस्तुत किया जाये।

कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग–6), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी।
4. सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
6. प्रबन्धक, सम्बन्धित महाविद्यालय।
7. अधीक्षक, सम्बद्धता अनुभाग को एन0ओ0सी0 रजिस्टर में चस्पा कराने के निर्देशों के साथ।
8. समन्वयक, वेबसाइट को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनापत्ति पत्र को वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

कुलसचिव